रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97 REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 1998/पौष 24, 1919
No. 4] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 1998/PAUSA 24, 1919

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1998

फा. सं. TAMP/7/97-TPT.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न अनुसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार दरमानों का संशोधन करता है ।

अनुसूची

(26 दिसम्बर 97 को पारित)

यह मामला दो वस्तुओं अर्थात् पीली मकई ओर कैलसिंड बाक्साइड के संबंध में घाट शुल्क के दरमानों के परिवर्तन के लिए तूतीकोरिन पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. मामले के तथ्य निम्न प्रकार हैं :—

(i) पशुचारा के उत्पादन में प्रयोग के लिए तूतीकोरिन पत्तन से पीली मकई का निर्यात किया जा रहा था। चूंकि दरमानों में पीली मकई का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं था इसलिए इसे ''खाद्यान्न'' के सामान्य शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया था और इस पर 36 रु. प्रति मीट्रिक टन की दर से प्रभार लगाया जाता था। निर्यातकों/प्रयोक्ताओं ने यह अभ्यावेदन किया कि इस मामले में पीली मकई को पशु चारे के रूप में समझा जाना चाहिए और इस पर 10 रु. प्रति मीट्रिक टन की दर से प्रभार लगाया जाना चाहिए जैसा कि ''पशुचारा'' के लिए दरों के मान में विनिर्दिष्ट है।

(ii) दरों के मान में 16 रु. प्रति मीट्रिक टन की दर पर ''कच्चा बाक्साइट'' के लिए एक प्रविष्टि शामिल है। परन्तु ''कैलसिन्ड बाक्साइट'' का कोई विशिष्ट वर्गीकरण नहीं है। इन दोनों के बीच अंतर केवल यह है कि जब कच्चे बाक्साइड को नमी हटाने के लिए गरम किया जाता है तो यह कैलसिन्ड बाक्साइट के रूप में वर्गीकृत हो जाता है। इसलिए इन दोनों को अलग-अलग वस्तुएं मानते हुए तूतीकोरिन पत्तन न्यास कैलसिंड बाक्साइट को ''अन्यथा वर्गीकृत नहीं'' वस्तु मान कर 36 रु. प्रति मिट्रिक टन की दर से शुल्क लगाता रहा।

3. इन दोनों वस्तुओं के निर्यातकों/प्रयोक्ताओं ने यह अभ्यावेदन किया कि अपनाई गई नीति ठीक नहीं है। पत्तन न्यासियों ने दो बैठकों में ब्यौरेवार-वार्ताएं करने के पश्चात् देखा कि उनके दावे में बल है और तद्नुसार पीली मकई की अलग दर लागू करने तथा कच्चे और कैलसिंड बाक्साइड के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए संकल्प पारित किया।

4. इस मामले पर प्राधिकरण की बैठक में 26 दिसम्बर, 97 को विचार किया गया था। निर्यातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए अभ्यावेदन के पक्ष में दिए गए तर्क प्राधिकरण को भी युक्तिसंगत मालूम हुए। यह भी नोट किया गया कि इस प्रस्ताव को प्रयोक्ताओं का समर्थन भी प्राप्त है और न्यासी बोर्ड द्वारा भी इसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया है। तद्नुसार प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है।

5. भाग-II कार्गो से संबंधित प्रभार में "दर अनुसूची-अनुसूची क" के नीचे "1. घाट शुल्क देयताएं" के नीचे निम्नानुसार शीर्षों के अंतर्गत निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

क्रम सं.	विवरण	इकाई	दर	
			जोन क	जोन ख
1.	"खाद्यान्न और खाद्य उत्पाद" के नीचे निम्नलिखित को क्रम सं. 10(च) के रूप में जोड़ा जाएगा। 10(च) मकई	1 मीट्रिक टन	20.00	12.00
2.	क्रम सं. 15(ख) को "थोक अथवा बोरों में भरा बाक्साइट" के रूप मे पढ़ा जाएगा।			

एस. सत्यम, अध्यक्ष

THE TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 1998

File No. TAMP/7/97-TPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 and Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby amend the Scale of Rates as in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

(Passed on this 26 December 97)

This case relates to a proposal from the Tuticorin Port Trust (TPT) for change in Scale of Rates for whrfage in respect of two commodities, viz., Yellow Maize and Calcined Bauxite.

The facts of the case are as follows :

(i) Yellow Maize was being exported from the TPT for use in production of Cattle Feed. Since there was no specific mention of Yellow Maize in the Scale of Rates, it was covered under the general head 'Foodgrains' and charged at the rate of Rs. 36/- per M. T. The exporters/users represented that Yellow Maize in this case should be treated as Cattle Feed and charged at the rate of Rs. 10/ per M.T. as specified in the Scale of Rates for 'Cattle Feed'.

(ii) The Scale of Rates incorporates an entry for 'Raw Bauxite' at the rate of Rs. 16/- per M. T. But, there is no specific classification of 'Calcined Bauxite'. The difference between the two is only that when Raw Bauxite is roasted to remove moisture, it gets classified as Calcined Bauxite. Treating the two as different commodities, therefore, the TPT used to levy a rate of Rs. 36/- per M.T. taking calcined Bauxite as a commodity 'otherwise not classified'.

3. The exporters/users of both these commodities represented that the approach adopted was not correct. The Board of Trustees, after deliberating on details in two meetings, saw force in their contention; and, accordingly, resolved to introduced a separate rate for Yellow Maize as well as to abolish the distinction between Raw and Calcined Bauxite.

4. This case was considered in the meeting of this Authority on 26 December 97. The arguments advanced in favour of the representation by the exporters/users was found to be convincing by the Authority too. It was also noted that the proposal

had the backing of the users and had been unanimously endorsed by the Board of Trustees. Accordingly, the proposal is accepted.

5. In Part-II Cargo-Related Charges, under "1. Wharfage Dues" below the "Schedule of Rates-Schedule A", the following shall be added under the Headings as noted below.

Sl. No.	Description	Unit	Rates	
			Zone A	Zone B
1.	The following shall be added as Sl. No. 10 (f) under "Food-grains and Food Products" 10(f) Maize	1 M.T.	20.00	12.00
2.	Sl. No. 15(b) shall be read as "Bauxite in bulk or in bags".			

S. SATHYAM, Chairman

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998